



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032022-234666
CG-DL-E-30032022-234666

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1424]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 2022/चैत्र 9, 1944

No. 1424]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 2022/CHAITRA 9, 1944

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2022

का.आ. 1467(अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण/केंद्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11-क के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना-2021/जोन-‘एफ’ की क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस [30] दिन की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, ‘बी’ ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में अथवा ई-मेल द्वारा mpd2021.public@dda.org.in पर भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर/संपर्क नंबर/ई-मेल आईडी भी दें, जो पठनीय हो।

प्रस्तावित संशोधन:

अवस्थिति	क्षेत्र	दिल्ली मुख्य योजना- 2021/जोन 'एफ' की क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार भूमि उपयोग	परिवर्तित भूमि उपयोग	सीमाएँ
1	2	3	4	5
योजना जोन 'एफ' में पश्चिमी अंसारी नगर कैंपस में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)	लगभग 1.69 हेक्टेयर (16,941 वर्ग मीटर)	'मनोरंजनात्मक' (शहरी पार्क/जिला पार्क/सामुदायिक पार्क)	सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक सुविधाएं- पीएस-1 (शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय)	उत्तर: मौजूदा सफदरजंग अस्पताल कैंपस दक्षिण: मौजूदा श्मशान भूमि पूर्व: पश्चिमी अंसारी नगर कैंपस (28 एकड़) 113312.1 वर्ग मीटर पश्चिम: एम्स ट्रॉमा केंद्र विस्तार

प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला पाठ/प्लान निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य-दिवसों में उप निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002 में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला पाठ/प्लान निम्नलिखित लिंक अर्थात् <https://dda.gov.in/mpd-2021-public-notices-2022> पर भी उपलब्ध है।

[फा. सं. पीएलजी/एमपी/0039/2020/एफ-3]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**(Master Plan Section)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 30th March, 2022

S.O. 1467(E).—The following modification which the Delhi Development Authority / Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi – 2021/Zonal Development Plan of Zone 'F' under Section 11-A of DD Act 1957, is hereby published for public information. Any person having any objection/suggestion with respect to the proposed modification may send the objection/suggestion in writing to the Commissioner – cum – Secretary, Delhi Development Authority, 'B' Block, Vikas Sadan, New Delhi – 110023 or via e-mail to mpd2021.public@dda.org.in within a period of thirty (30) days from the date of publication of this notice. The person making the objections or suggestions should also give his/her name, address and telephone/contact number(s)/ E-mail ID which should be readable.

Proposed Modification:

Location	Area	Land use as per MPD-2021/ZDP of Zone-F	Land use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) at West Ansari Nagar Campus in Panning Zone-'F'	About 1.69 Ha (16,941 sq.m)	'Recreational' (City park/ District Park/ Community park)	Public and Semipublic facilities'- PS1 (Education and Research university)	North: Existing Safdarjung Hospital campus South: Existing cremation ground

				East: West Ansari Nagar Campus (28 Acres) 113312.1 sq.m West: AIIMS Trauma Centre Extension
--	--	--	--	---

The text/plan indicating the proposed modification shall be available for inspection at the office of Deputy Director, Master Plan Section, Delhi Development Authority, 6th Floor, Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi – 110002 on all working days within the period referred above. The text/plan indicating the proposed modification is also available on the following link i.e., <https://dda.gov.in/mpd-2021-public-notices-2022>.

[F. No. PLG/MP/0039/2020/F-3]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.